राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 153वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 153वीं बैठक दिनांक 15/09/2023 को पूर्वान्ह 10:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 152वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। उक्त कार्यवाही विवरण के निम्न प्रकरणों में शुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 अंतर्गत **पृष्ठ क्रमांक 109 पर प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार अंतर्गत निर्णय में:–**

   "प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए. का गठन पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है।

   के स्थान पर

   प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि **एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी.** का गठन पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है।

   पढ़ा जावे।"

2. एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 के प्रकरण क्रमांक 1 के **पृष्ठ क्रमांक 141 पर टंकित निर्णय:–**

   "1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

   के स्थान पर

   1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to **change / transfer** of name from Hind Energy to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

   पढ़ा जावे।"

3. एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 के प्रकरण क्रमांक 2 के **पृष्ठ क्रमांक 143 पर टंकित निर्णयः–**

"1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Hind Multi to Lakhadatar Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

के स्थान पर

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to **change / transfer** of name from Hind Multi to Lakhadatar Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

पढ़ा जाये।"

4. एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 के प्रकरण क्रमांक 3 के **पृष्ठ क्रमांक 144 पर टंकित निर्णयः–**

"1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to change of name from Clean Coal to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

के स्थान पर

1. RoC Certificate has not been submitted, please submit either a copy of Certificate of Incorporation pursuant to **change / transfer** of name from Clean Coal to Radiant Coal issued by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs or N.C.L.T. order.

पढ़ा जाये।"

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 471वीं एवं 472वीं बैठक क्रमशः दिनांक 26/06/2023 एवं 27/06/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती संगीता अग्रवाल), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2259)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409648/ 2022, दिनांक 06/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 654/1, 654/2 एवं 657/14(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.676 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,210 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/06/2023 द्वारा जानकारी अपूर्ण होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स माँ गुरू मिनरल्स (किरारी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री हेमंत कुमार सिंह), ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2280)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415192/ 2023, दिनांक 20/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक

729/2, 729/3 एवं 729/6, कुल क्षेत्रफल–1.643 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भुनेश्वर सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरारी का दिनांक 11/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – न्यू क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3310/खनिज/उ.या.अ./2022–23 कोरबा, दिनांक 21/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 185/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 120.517 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 184/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स माँ गुरू मिनरल्स (पार्टनर–श्री हेमंत कुमार सिंह) के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),

जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 2793/गौण खनिज/न.क./2022–23 जांजगीर, दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स श्री गोपाल इंटर प्राईजेस किरारी (पार्टनर–श्री सुमन कुमार) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4949 चांपा, दिनांक 04/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10.3 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–किरारी 950 मीटर एवं स्कूल ग्राम–किरारी 950 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.1 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 20 मीटर, नहर 375 मीटर एवं तालाब 900 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,01,500 टन, माईनेबल रिजर्व 4,44,555 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,35,663 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,813 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8.71 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पंचम	50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 261 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 900 नग वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (DPR) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 3,813 वर्गमीटर है, जिसमें से 953 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

> "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्र. 185/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 जांजगीर, दिनांक 17/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 74 खदानें, क्षेत्रफल 120.517 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) का रकबा 1.643 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरारी) को मिलाकर कुल रकबा 122.16 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का

कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   v. Project proponent shall submit the partnership deed.

   vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies. Nearby water tanks, rivers & nalla shall be protected.

   viii. Project proponent shall submit the conservation plan of small nalla which is very near to the mine lease area.

   ix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

   x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया:–

"4(viii) Project proponent shall submit the conservation plan of small nalla which is very near to the mine lease area." के स्थान पर "4(viii) Project proponent shall submit conservation plan for all water bodies (including small nallah) which are near / close to the mine lease area." पढ़ा जाये।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स घनश्याम देवांगन (भाठागांव सॉईल/ऑर्डिनरी क्ले क्वारी), ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2103)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275252/2022, दिनांक 09/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120, कुल क्षेत्रफल – 1.032 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं बिमनी स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं बिमनी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04 / 01 / 2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06 / 03 / 2023 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20 / 03 / 2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म में त्रुटि सुधार कर एवं प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् (बिमनी को हटाते) हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री घनश्याम देवांगन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत माठागांव का दिनांक 06 / 08 / 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्र. 1577 / खनि.अनु.–01 / 2022 दुर्ग, दिनांक 13 / 01 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2007 / ख.लि. 02 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 22 / 11 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2007/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री घनश्याम देवांगन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1708/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 12/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 5646/खनि 02/उ.प.–अनु. निष्पा./न.क्र. 50/2017(2) नवा रायपुर, दिनांक 28/10/2022 के अनुसार **"छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री मिथलेश्वर दास के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–1/7386 राजनांदगांव, दिनांक 10/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–माठागांव 100 मीटर, स्कूल ग्राम–माठागांव 150 मीटर एवं अस्पताल सोमनी 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। तालाब 110 मीटर एवं शिवनाथ नदी 800 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,640 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,658 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,192 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 668 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। एक लाख

ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चतुर्थ	1,000
पंचम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 150 नग पौधों के लिए राशि 9,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 68,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,61,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – स्टॉक यार्ड, रेस्ट सेल्टर एवं स्क्राईल प्रोसेसिंग हेतु कुल 2,000 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at nearby, Village-Bhathagaon	
			Pavitra Van Nirman	2.566
			Total	2.566

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 30,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 94,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,62,100 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भाठागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य

स्थान (खसरा क्रमांक 599, क्षेत्रफल 3.753 हेक्टेयर में से 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 714/2 रकबा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकबा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकबा 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर भूमि श्री केशोराम देवांगन के नाम पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त भूमि में ईंट निर्माण हेतु किमनी प्रस्तावित किये जाने बाबत् श्री केशोराम देवांगन से किये गये सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त भूमि से आबादी क्षेत्र और फलों के बागों से न्यूनतम दूरी तथा उक्त भूमि से अन्य ईंट भट्टों की न्यूनतम दूरी के संबंध में जानकारी के.एम.एल. सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आशय पत्र में उल्लेखित क्षेत्र हेतु नवीन उत्खनन योजना प्रस्तुत किया गया है, जो केवल मिट्टी उत्खनन हेतु प्रस्तावित है तथा लीज अनुबंध के 6 माह के भीतर समिति के निर्देशों का पालन करते हुए बस्ती एवं बाग बगीचों से न्यूनतम 800 मीटर दूरी पर किमनी स्थापित करने तथा उक्त क्षेत्र के पृथक से नियमानुसार शासकीय कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त करने पश्चात् ही उत्पादन प्रारंभ किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सड़क की ओर 1 मीटर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी के अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कानसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने हेतु प्रस्ताव लीज अनुबंध के 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का कम से कम 5 वर्षों तक देख रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

30. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2007/खनि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-माठागांव) का रकबा 1.032 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. ग्राम-माठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 714/2 रकबा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकबा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकबा 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर भूमि से आबादी क्षेत्र और फलों के बागों से न्यूनतम दूरी तथा अन्य ईंट भट्टों की न्यूनतम दूरी के संबंध में के.एम.एल. सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स घनश्याम देवांगन (माठागांव सोईल/ऑर्डिनरी क्ले क्वारी) को ग्राम-माठागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 117 एवं 120 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्टा के), कुल क्षेत्रफल-1.032 हेक्टेयर, क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम–भाठागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 714/2 रकबा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकबा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकबा 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर भूमि को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा उक्त भूमि से आबादी क्षेत्र और फलों के बागों से न्यूनतम दूरी तथा अन्य ईंट भट्टों की न्यूनतम दूरी के संबंध में के.एम.एल. सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 714/2 रकबा 0.028 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 714/5 रकबा 0.11 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 714/6 रकबा 0.291 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर में कच्चे ईंटों को पकाने का कार्य किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्री कमलेश भवनानी), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2299)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416817/ 2023, दिनांक 03/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 133, 134, 135, 136, 137, 146 एवं 147/1, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/03/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि कुकरेजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 133, 134, 135, 136, 137, 146 एवं 147/1, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर, क्षमता-1,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 26/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 25/02/2023 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में पूर्व में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर में दिनांक 16/03/2023 को पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 24/11/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान, इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि.प्रशा.),

जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.नि./तीन–6/ई–निविदा/2017/1037 रायपुर, दिनांक 17/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 162/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 179.508 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3008/कोपा/उ.प./चूना पत्थ./2022–23 रायपुर, दिनांक 12/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 118, 119, 120, 121, 122, 125/1, 127/2, 128/2, 147/1 श्री कमलेश भवनानी एवं खसरा क्रमांक 133, 134, 135, 136, 137, 146 श्रीमती रिशिका भवनानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री कमलेश भवनानी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/03/2018 से 23/03/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी की जानकारी हेतु कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जिला–रायपुर में दिनांक 06/02/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अकोलडीह खपरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.60 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर, नाला 490 मीटर, नहर 3.4 कि.मी. एवं रेहर नदी 18.3 कि.मी.दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 24,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 10,81,074 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,72,966 टन है। लीज

की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,544.57 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 15,227.72 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,00,000	षष्टम	1,00,000
द्वितीय	1,00,000	सप्तम	1,00,000
तृतीय	1,00,001	अष्टम	1,00,000
चतुर्थ	1,00,001	नवम	1,00,000
पंचम	1,00,000	दशम	72,962.9

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,146 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स धनसूली लाईम स्टोन क्वारी, प्रो. श्रीमती सतिंदर कौर अरोरा द्वारा बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिसम्बर, 2022 से फरवरी, 2023 के मध्य किया गया था। तत्समय दिनांक 06/12/2022 को बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 162/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 24/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 179.508 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह) का रकबा 4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह) को मिलाकर कुल रकबा 183.508 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–
   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
   iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
   iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
   v. Project proponent shall submit the previous year production detail to till date from the mining department.
   vi. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
   vii. Project proponent shall submit the land (B-1, P-2) document.
   viii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
   ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
   x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
   xi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
   xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

   "Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report."

   साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टी.ओ.आर. पत्र जारी किया जाए।

3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टी.ओ.आर. पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो– श्री देव कुमार पटेल), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2318)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411966/ 2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल–1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,416 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देव कुमार पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 199, कुल क्षेत्रफल–1.07 हेक्टेयर, क्षमता–20,416 टन (7,852 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 20/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 19/03/2022 तक वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered

for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 19/03/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 220 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 64/खनिज/उ.प./2022 एम.सी.बी., दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	293
2019	2,944
2020	1,130
2021	1,656
दिसम्बर 2022 तक	110

समिति का मत है कि दिसम्बर 2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत पिपरिया का दिनांक 07/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3195/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.65 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 63/खनिज/उ.प./2023

एम.सी.बी., दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज श्री देव कुमार पटेल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है। समिति का मत है कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (रा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/माधि./2014/1886 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/10/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हसिनापुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–हसिनापुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 2.5 कि.मी. दूर है। सोनहारी वन क्षेत्र 5 कि.मी. एवं हसदेव वनक्षेत्र 4.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,65,589 टन, माईनेबल रिजर्व 2,53,635 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,28,271 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,523 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर एवं हिल लीज की औसत ऊँचाई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,593 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,185.90	षष्टम	17,160.00
द्वितीय	16,904.16	सप्तम	18,283.20
तृतीय	18,223.92	अष्टम	17,335.50
चतुर्थ	19,273.80	नवम	17,181.80
पंचम	19,546.80	दशम	20,416.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में 1,050 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 83/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.65 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–हस्तिनापुर) का रकबा 1.07 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–हस्तिनापुर) को मिलाकर कुल रकबा 11.72 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed.

viii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/01/2023 to till date from the mining department.

ix. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

x. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible free bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स खम्हारडीह लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2321)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420135/ 2023, दिनांक 27/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 192/5, 195/4, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2 एवं 202, कुल क्षेत्रफल–1.356 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,400 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विष्णु अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 192/5, 195/4, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2 एवं 202, कुल क्षेत्रफल-3.35 हेक्टेयर, क्षमता-16,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 31/08/2022 तक वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/08/2023 तक वैध होगी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 23/खनि-2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
01/09/2017 से 31/03/2018	4,500
01/04/2018 से 31/03/2019	11,200
01/04/2019 से 31/03/2020	15,960
01/04/2020 से 31/03/2021	14,000
01/04/2021 से 31/03/2022	16,350
01/04/2022 से 31/03/2023	16,365

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 10/12/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एलींग एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1897/खनि/तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 18/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 997/खनि–02/2022 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.829 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 996/खनि–02/2022 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2007 से 30/04/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2017 से 30/04/2037 की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3421, दिनांक 17/05/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खम्हारडीह 620 मीटर, स्कूल ग्राम–खम्हारडीह 870 मीटर एवं अस्पताल बिल्हा 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21.50 कि.मी. दूर है। महानदी 700 मीटर, तालाब 480 मीटर, नहर 220 मीटर एवं नाला 155 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,72,900 टन, माईनेबल रिजर्व 1,81,880 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,63,692 टन है। वर्तमान

में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,85,816 टन, माईनेबल रिजर्व 94,797 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 85,317 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,361.18 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,365.9	षष्टम	16,366.5
द्वितीय	16,365.9	सप्तम	16,366.3
तृतीय	16,365.9	अष्टम	16,365.9
चतुर्थ	16,365.8	नवम	16,365.0
पंचम	16,365.9	दशम	16,399.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नियमानुसार 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 864 नग वृक्षारोपण किया जाना है, परन्तु 7.5 मीटर की पूर्ण सीमा पट्टी 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की भूमि पर 3 पंक्तियों में 602 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही शेष 262 नग वृक्षारोपण को सी.ई.आर. में शामिल करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी 4,361.18 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 27/02/2023 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 997/खनि–02/2022 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.829 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खम्हारडीह) का रकबा 1.356 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खम्हारडीह) को मिलाकर कुल रकबा 8.185 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कंटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई –

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2023 to till date from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies. The project proponent shall conserve the nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report. Project proponent shall undertake plantation of 262 plants outside of the lease area.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details along with photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स बधिमा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अभिषेक गोयल), ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1447)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57842/ 2020, दिनांक 28/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/420679/2023,

दिनांक 04/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बघिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/46, 849/41 एवं 849/32, कुल क्षेत्रफल–2.196 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–64,837.5 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्वायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) की ओर से डॉ. देव नारायण उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघिमा का दिनांक 09/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला–सरगुजा

के पृ. ज्ञापन क्र. 1574/खनिज/खनि.3/उत्खनन यो./2020 अंबिकापुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.672 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 932/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अभिषेक गोयल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 871/गौण खनिज/उत्खनन पट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 5668/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 02/11/2021 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 29/09/2022) हेतु कैद थी।

तदोपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 02/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/08/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 849/12 श्री मनराज, श्री सनराज, श्री चरण, श्रीमति फूलमेत, श्री अमरसाय, खसरा नं 849/48, 54, श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 849/43 श्री रामसाय, खसरा क्रमांक 849/33, 41 श्रीमति फूलवासी, खसरा क्रमांक 849/39 श्री सोमारू, श्री राजकुमार, श्रीमति सुधासी, खसरा क्रमांक 849/34 श्री राजकुमार, श्रीमति फूलवासी, खसरा क्रमांक 849/35 श्री महेन्द्र पैकरा, खसरा क्रमांक 849/32 सुश्री संगली एवं सुश्री मंगली के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, जिला–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018/4473 बलरामपुर, दिनांक 31/07/2018 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार "आवेदित भूमि सीमांकन वन क्षेत्र नहीं छोटे झाड़ के जंगल मद अंतर्गत नहीं आता है तथा

आवेदित वन भूमि मे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होगा" का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत टोपोशीट क्रमांक 64 एन/7,8,3,4 के आधार पर आवेदित भूमि से उत्तर–पूर्व की ओर लगभग 300 मीटर पर बेन्दोगढ़ रिसर्व फारेस्ट एवं दक्षिण–पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर पर बांसबोरा रिसर्व फारेस्ट दर्शित होती है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बघीमा 400 मीटर, स्कूल ग्राम–बघीमा 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.1 कि.मी. मीटर दूर है। बांध 9.7 कि.मी., नाला 3.6 कि.मी., गागर नदी 1.6 कि.मी. एवं तालाब 950 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,90,150 टन, माईनेबल रिजर्व 6,61,887 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,28,793 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,670 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 25,935 घनमीटर है, जिसमें से 1,637 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 24,298 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 734/1, 750, 754/1, 754/2 एवं 754/3, भू–स्वामी–मुकेश कुमार अग्रवाल, रकबा–1.868 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	61,595.63	षष्टम	62,985.00
द्वितीय	62,094.38	सप्तम	64,837.50
तृतीय	62,700.00	अष्टम	62,201.25
चतुर्थ	62,486.25	नवम	64,231.88
पंचम	62,058.75	दशम	63,602.50

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,078 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,078 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	59,250	5,350	5,350	5,350	5,350
	फेंसिंग हेतु राशि	1,07,425	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
	रख–रखाव हेतु राशि	1,09,500	1,09,500	1,09,500	1,09,500	1,09,500
कुल राशि = 14,55,075		**4,20,075**	**2,58,750**	**2,58,750**	**2,58,750**	**2,58,750**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,670 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 803 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	19	55	60
PM_{10}	49	99	100
SO_2	5	30	80
NO_2	10	38	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.9	51.9	75
Night L_{eq}	41.9	45.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जी.एल.सी. की गणना:–

S No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m3)	Predicted GLC (µg/m^3)	Total GLC (µg/m^3)
1	PM_{10}	99	0.135	99.135
2	$PM_{2.5}$	55	0.087	55.087
3	SO_2	30	2.95	32.95
4	NO_x	38	0.66	38.66

vi. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 59.07 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.039 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 23 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 82.07 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.055 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 02/08/2022, पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन को जहां जरूरत रहता है वहां नहीं डालते है, जिससे पूरे गांव वालों को परेशानी होती है।

ii. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा। मिट्टी या ओवर बर्डन को खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या शासकीय स्थल में डम्प नहीं किया जायेगा। खदान का संचालन पूर्णतः कानूनी तौर पर एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।

ii. स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार खदान में रोजगार दिया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 8 खदानें आती है। जिसमें से 7 खदानों को पूर्व में ही पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। अतः क्लस्टर में शामिल आवेदित खदान द्वारा इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान

प्रस्तुत किया गया है। इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सडकों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 580 मीटर		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
क्लस्टर मार्ग मे (386 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,14,000	71,000	71,000	71,000	71,000
	फेंसिंग हेतु राशि					
	खाद हेतु राशि					
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि					
इन्वायरोमेंट मॉनिटरिंग		27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
हेल्थ चेकअप कैम्प		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
कुल राशि = 12,08,000		**2,76,000**	**2,33,000**	**2,33,000**	**2,33,000**	**2,33,000**

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.12	2%	1.43	Following activities at nearby Village - Baghima	
			Plantation at Village Pond	1.509
			Total	**1.509**

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष मे कुल राशि 35,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष मे कुल राशि 1,15,200 रूपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

ग्राम पंचायत बधिमा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 25 एवं 26, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड बलरामपुर के ज्ञापन दिनांक 27/04/2022 अनुसार "ग्राम बधिमा के खसरा क्रमांक 849/12, 54, 43, 33, 39, 34, 35, 48, 41 एवं 32 क्षेत्र में खुदाई के दौरान 45 मीटर से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।

23. लीज क्षेत्र में 1 गड्ढा विद्यमान है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 02/10/2017 द्वारा निर्णय लिया गया कि खसरा क्रमांक 849/30 में पूर्व से संचालित खदान का गड्ढा है, जिससे लगी ग्रामीणों की भूमि खसरा क्रमांक 849/13, 849/33 एवं 849/43 को मिट्टी एवं पत्थर निकालकर गहरीकरण किया गया ताकि गड्ढे में पानी भरकर कृषि कार्य में पानी का उपयोग किया जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित भूमि में ग्रामवासियों के द्वारा किये जा रहे अवैध उत्खनन की जानकारी देते हुए दिनांक 06/03/2020 तथा दिनांक 05/04/2021 को खनिज अधिकारी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज को पत्र लेख कर अवैध उत्खनन पर रोक लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/10/2017 को आवेदित स्थल में अवैध उत्खनन किये जाने के कारण खनिज अधिकारी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के द्वारा जांच के आधार पर 1,22,364 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं, उसके संबंध में प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा एक पर्यावरण समिति का गठन किया जाएगा, जिस पर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

38. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

39. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/उत्खनि./2020 बलरामपुर, दिनांक 27/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 6.672 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बधिमा) का क्षेत्रफल 2.196 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बधिमा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.868 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बधिमा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अभिषेक गोयल) को ग्राम–बधिमा, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 849/12, 849/54, 849/43, 849/33, 849/39, 849/34, 849/35, 849/48, 849/41 एवं 849/32 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.196 हेक्टेयर, क्षमता–64,837 टन (25,935 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स बघिमा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री अभिषेक गोयल) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. स्थानीय ग्रामवासियों से चर्चा उपरांत ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन के उपयुक्त रख–रखाव को सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत राष्ट्र के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी, इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स सरस्वती स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री जयंती लाल पटेल), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2260)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/413673/2023, दिनांक 07/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/03/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल–1.76 हेक्टेयर (4.35 एकड़) में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–69,691.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयंती लाल पटेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 872, कुल क्षेत्रफल–4.35 एकड़, क्षमता–69,690 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2023 तक वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 16/01/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 259/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)

2017–18	15,870
2018–19	31,392
2019–20	8,174
2020–21	15,826
2021–22	8,000
01/04/2022 से 30/09/2022	5,287

समिति का मत है कि दिनांक 01/10/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 17/03/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.नि./तीन–6/उ.प./2013/2663 रायपुर, दिनांक 23/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.75 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज मेसर्स सरस्वती स्टोन क्वारी, प्रोपराईटर श्री जयंती लाल पटेल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/01/2013 से 16/01/2023 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/01/2023 से 16/01/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–धनसुली 1 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 900 मीटर एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 18 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,76,000 टन, माईनेबल रिजर्व 6,96,915 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 6,27,223 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,267.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	69,691.5	षष्टम	69,691.5
द्वितीय	69,691.5	सप्तम	69,691.5
तृतीय	69,691.5	अष्टम	69,691.5
चतुर्थ	69,691.5	नवम	69,691.5
पंचम	69,691.5	दशम	69,691.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ भाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनित किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन का उल्लेख क्वारी प्लान में करते हुए संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (c) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 280/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 14/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.75 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 1.76 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 182.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कॉटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the plantation details of previous environmental clearance with geotag photographs and videography & incorporate in the EIA report.

v. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

vi. Project proponent shall submit production detail from 01/10/2022 to till date from the mining department.

vii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall submit the NOC from (DFO) forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

x. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. Project proponent shall submit detail of pond and nearby water bodies distance from mine lease area & an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xiv. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area, incorporate the mined out reserve in the quarry plan accordingly and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall undertake plantation of 550 plants during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details along with photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोयल्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा द्वारा प्रेषित पत्र के संबंध में निर्णय लिया जाना।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा के ज्ञापन दिनांक 26/04/2023 द्वारा **"4-laning of Urga-Pathalgaon section of NH-130A from km.70+200 to km.157-745 (from Bhisma village to Taruma village) under Bharatmala Pariyojana (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) in the State of Chhattisgarh on HAM Mode- Request to issue environmental clearance of stone mines to be used for construction of project highway- Reg."** के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/06/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"Consequent upon signing of Concession Agreement (CA) on 20.02.2023, the Concessionaire M/s Urga-Pathalgaon Highways Ltd has mobilized for Preconstruction Activities. Further, as per Clause-4.1.3 of the Concession Agreement, the Conditions Precedent required to be satisfied by the Concessionaire within a period of 150 days from the date of this Agreement. One of the condition precedents is to procured all the Applicable Permits specified in Part-1 of Schedule-E unconditionally or if subject to conditions, then all such conditions required to be fulfilled by the date specified therein shall have been satisfied in full and such Applicable Permits are in full force and effect.

In this regard, the Concessionaire vide letter dated 26.04.2023 has informed that, for execution of captioned project, it needs quantum of minor

minerals (Stone/Boulders) for which, the Concessionaire has already applied for environmental clearances as under:

Sr. No.	Application No.	Quantity (In MT)	Area (In Ha)	Location (Village)	District
1.	SIA/CG/MIN/425021/2023 dtd. 06.04.2023	1,648,26.00	1.00	Turuma (Pathalgaon)	Jashpur
2.	SIA/CG/MIN/425025/2023 dtd. 06.04.2023	1,00,099.00	0.994	Turuma (Pathalgaon)	Jashpur
3.	SIA/CG/MIN/425029/2023 dtd. 06.04.2023	79,387.00	1.00	Turuma (Pathalgaon)	Jashpur
4.	SIA/CG/MIN/426822/2023 dtd. 21.04.2023	2,50,036.00	1.52	Semipali (Dharamjaygarh)	Raigarh
	Total	**5,94,348.00**	**4.514**		

In view of above, it is requested to kindly accord necessary Environmental Clearance for the above project on **PRIORITY BASIS**, enabling the Urga-Pathalgaon Project activity to be carried out at required pace and to be completed in stipulated time."

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र का अवलोकन किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के प्रकरणों को आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी. का गठन पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए किया गया है। अतः पर्यावरणीय **Safeguards and protection** को ध्यान में रखकर ही परियोजना (औद्योगिक/खनन/निर्माण) का पर्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, तदानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया तथा परम्परा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोरबा को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /281098/2022, दिनांक 01/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित आयरन और (मुख्य खनिज) खदान एवं बेनिफिसियेशन प्लांट है। खदान ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित

पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.के. मोईत्रा एवं श्री एस.के. स्वान, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशांत कुमार मोइत्रा, असिस्टेंट डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्री हेम कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/08/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल–35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष बिथ बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–नारायणपुर के ज्ञापन क्रमांक 316/खनिज/ली.अं./2020–21 नारायणपुर, दिनांक 05/11/2020 द्वारा

जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों 2017 से सितम्बर, 2021 तक में किये गये उत्खनन की मात्रा निरंक है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन को पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2022 को प्रेषित किया गया है। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

   i. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम्स एवं कैच ड्रेन्स का निर्माण किया जाना बताया गया है। अतः गारलेण्ड ड्रेन चेक डेम्स एवं कैच ड्रेन्स के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   ii. वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. भू-जल स्त्रोतों का संरक्षण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

   iv. पिजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।

   v. वन्य प्राणी संरक्षण योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   vi. परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन की स्थापना का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   vii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से दिनांक 29/06/2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् जारी प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 27/06/2027 तक है।

   viii. जल हेतु वाटर ऑडिटिंग कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   ix. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में रिचार्ज पॉण्ड का निर्माण किया गया है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय (वन संरक्षण विभाग) द्वारा पत्र दिनांक 01/02/2022 के माध्यम से मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर को स्टेज-II फारेस्ट क्लीयरेंस (**Forest clearance stage-II for 55.26 Ha**), अतिरिक्त क्षेत्रफल-55.26 हेक्टेयर हेतु जारी की गई है।

4. **जल एवं वायु सम्मति** –

   i. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5573/TS/CECB/2021 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

02/11/2021 द्वारा आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता– 0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति 1 वर्ष (From the first date of month of commissioning of the mining) तक की अवधि हेतु है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **उत्खनन योजना** – भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन सं. नारायनपुर/लौह/खयो–1329/2022–रायपुर/100, दिनांक 27/06/2022 द्वारा (प्रमाणु और हाईड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 17(3) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निकट ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील–नारायणपुर, जिला–नारायणपुर में स्थित छोटेडोंगर लौह अयस्क खान क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर कि खनन योजना का उपांतरण सह उत्तरोत्तर खान बंद करने की योजना की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/06/2005 से 20/06/2035 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

LAND USE PATTERN				
Operational & post operational Land use as per the Modified mine plan				
Land Use	Total Area (Ha.)			
	Area Proposed (Original)	Actual Area Utilized	End of first five year as per current mine plan (2021-2025)	At the end of lease period
Area Under Pits	15.58	2.41	20.00	133.00
Area Under Utility Service, (road+Infrastructure)	4.24	7.21	17.48	21.99
Area Under Mineral Storage	0.50	0.40	5.00	0.00
Area Under Over Burden/Waste Dump	0.80	0.32	1.38	5.00
Area Under Plantation	0.00	0.00	0.20	32.26
Area for Garland Drain/Rain water Harvesting	0.50	0.10	0.40	0.00
Surface Water Bodies	0.00	0.00	0.00	0.00
Settlements	0.00	0.00	0.00	0.00
Top soil stacking	0.00	0.30	0.03	0.00
Benefication Plant & Tailing Waste Disposal	4.00	0.00	2.70	0.00
Undisturbed area after 5 years for utilization at later period	**10.42**	**25.27**	**43.81**	**0.00**
Total Project Area	**35.74**	**35.74**	**91.00**	**192.25**

8. कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/भू–प्रकोष्ठ/खनिज/331–173/1227 रायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा "Proposal involving non-forestry use of 91.00 ha. (192.250 ha) of forest land in favour of M/s Jayaswal Neco industries limited for mining of

iron located in village chhote doger, district Narayanpur (Chhattisgarh)." बाबत् संशोधित पत्र जारी किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनौरा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। मदीन नदी 3 कि.मी. दूर है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,42,10,360 टन, माईनेबल रिजर्व 4,80,23,235 टन है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 36 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 732 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 9 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग एवं डीपहोल कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022–23	19,00,476
2023–24	29,22,384
2024–25	29,49,975

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी के भंडारण हेतु 0.03 हेक्टेयर क्षेत्र, ओवरबर्डन/वेस्ट के भंडारण हेतु 0.32 हेक्टेयर क्षेत्र एवं मिनरल्स के भंडारण हेतु 5 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 330 घनमीटर प्रतिदिन होती है, जिसमें से बेनीफिसियेशन प्लांट हेतु जल की मात्रा 245 घनमीटर प्रतिदिन है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (3-tier plantation) में प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2021 में अधिरोपित शर्त अनुसार लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के आधार पर सी.ई.आर. के तहत् विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का आस–पास के क्षेत्रों में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से वृक्षारोपण किये जाने बाबत् सहमति उपरांत (खसरा एवं रकबा सहित) वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि:–

i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/06/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

तदोपरांत वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल–35.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन और (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विथ बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

ii. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions के (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha. PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha; may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.

iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 अनुसार "7(ii) Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects: (a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects." उल्लेखित है।

उक्त अधिसूचना के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान में लीज एरिया एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है। साथ ही पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित कर मॉनिटरिंग का कार्य कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु ही किया गया था। चूंकि पूर्व में स्टेज–2 फॉरेस्ट क्लेयरेंस 35.74 हेक्टेयर हेतु ही जारी किया गया था, तदानुसार ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृथक से टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित), ई.आई.ए. मॉनिटरिंग डाटा की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा (यदि आवश्यक हो तो) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

16. **डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि:–**

i. पूर्व में 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को कुल लीज क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु फॉरेस्ट क्लेयरेंस स्टेज–2 जारी की गई है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर

(कुल–91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

ii. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रफल (**Increase in mine lease area**) में वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत् क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः अध्यक्ष महोदय का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के अंतर्गत नवीन ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

17. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:–**

i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का माना जाना अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।

ii. **डॉ. शैलेश कुमार जाधव**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि संबंधित प्रस्ताव संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का माना जाना अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।

iii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण में क्षमता एवं माईनिंग लीज एरिया में विस्तार नहीं होने कारण डि–लिस्ट/ निरस्त करने की अनुशंसा हेतु असहमति व्यक्त की गई है।

iv. **डॉ. मनोज कुमार बोपचर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण निम्न कारणों से क्षमता विस्तार का नहीं है:–

- कुल माईनिंग लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई है।
- उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है।
- लोक सुनवाई एवं ई.आई.ए. कुल माईनिंग लीज एरिया 192.25 हेक्टेयर हेतु कराया गया है।
- उक्त कारणों से यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है, किन्तु आवेदित प्रकरण के संबंध में संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का है अथवा नहीं? बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि:–

i. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत माईनिंग के परियोजनाओं हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से माईनिंग लीज एरिया या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

ii. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग लीज, माईनिंग प्लान एवं स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु जारी की गई थी।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु लोक सुनवाई तथा फाईनल ई.आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

iv. स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर आवेदित प्रकरण को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष विथ बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के **Specific conditions** के **(iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha, may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.** का उल्लेख है।

v. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदित प्रकरण पूर्व में जारी 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है? अथवा पूर्व में जारी माईनिंग क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 55.26 हेक्टेयर की वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत क्षमता विस्तार का है? इस आशय के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 एवं स्मरण पत्र 26/05/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया, परंतु जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। चूंकि प्रकरण मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में लंबित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2023 एवं 24/05/2023 को तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

"The presentation was made before State Level Expert Appraisal Committee Chhattisgarh on 28/10/2022 and 09/02/2023 for the same and all documents and clarification sought for including the certified compliance report was submitted before the committee on the 10 of February 2023. This compliance submission was along with an Affidavit duly sown in by the company about the submitted compliance status.

In MoM of 450th meeting dated 09/02/2023 it was opined that an opinion may be taken from MOEF New Delhi (Policy division) seeking clarification on whether the matter should be dealt under amendment or Expansion under section 7(i)(a) of EIA Notification date 23/11/2016. Copy of the letter send to MOEF was also marked to us.

We had perused the matter with MOEF New Delhi and we had been given to understand that no such opinion can be given on any individual case as there is clarity in the EIA notification. Moreover, substantial lapse of time had happened in between but no communication could be received.

Keeping in view the time lapsed, we had made a request to the Member Secretary vide our letter dated 11/05/2023 informing that we wish to submit this proposal under section 7(ii)(a) of EIA Notification 23/11/2016.

However, while filing an application for expansion under 7(ii)(a) vide SW/129039/2023 there is only four options given in the drop box under which an application under section 7(ii)(a) can be filed, the same are reproduced as below (Only increased in production with or without increasing the pollution load):

i. More than 40% but up to 50%

ii. Up to 20%

iii. Up to 40%

iv. Without increase in production capacity but with increase in pollution load.

Our case does not fall in any of the above category and we are unable to find any other options in filling the application. There is no such provision in the simple expansion procedure also on filing any application wherein there is no increase in production or no increase in mining lease area is happening. Hence we are constrained to file application under Amendment and we seek remedy for the same by this committee.

In view of the same, and the considerable lapse of time which had already occurred, we request for considering this proposal under simple amendment in EC on the following grounds :-

a. TOR had been granted for 192.25 hectare and the entire EIA study and the Public hearing had been conducted on the entire 192.25 hectare forest land and its 10 km radius.

b. EIA had been prepared accordingly covering the entire 192.25 hectare mining lease area and had been presented before the EAC committee of MOEF.

c. EC had been granted by MOEF (IA Division) vide letter dated 22/03/2021.

d. While granting the earlier EC, it has been stated that (page 8 of 15) specific condition No IV as the public hearing has been carried out for the entire 192.25 hectare, PP after taking stage 2 forest clearance for the remaining area i.e. 55.26 hectare, may again approach the ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.

e. NPV for the entire Mining lease area (192.25 Hectare) stands paid. Compensatory afforestation charges also stands paid to the forest department. All compliance had been done as per the provisions.

Since there is neither increase in the mining lease area nor there is any increase in production hence section 7(ii)(a) of EIA notification 2016 is not applicable in this case. Hence we request you to treat this as case of "Amendment in EC" and grant us the requisite amendment accordingly without further waste of time. We will remain obliged for the same."

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–छोटेडोंगर, तहसील व जिला–नारायणपुर स्थित भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) में क्षमता–2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट–1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ यह भी कि This recommendation is being made subject to final outcome of clarification letter sought from MoEF&CC wide letter no 2669, dated 23/03/2023 पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन दिए जाने की अनुशंसा की गई (यह अनुशंसा भविष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी):–

i. Project proponent shall carryout the EIA study in accordance to MoEF&CC circular issued from time to time & shall prepare EIA report / EMP incorporating the impact of mining on subject land and shall submit the copy of EIA / EMP within four months from the grant of amendment in environment clearance which will be further reviewed by SEAC for appraisal of the same.

ii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

iii. The Project Proponent needs to implement the recommendations of the Slope monitoring studies to be carried out by CSIR. The implementation status of the same shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office (IRO) along with the six monthly compliance report.

iv. The Project Proponent shall ensure that the low grade ore shall be effectively utilized.

v. The Project Proponent shall continue the monitoring of ground induced blast vibrations for every blast through authorized institutes and the results are to compared with the limiting values prescribed by Director General of Mine Safety (DGMS). PP shall ensure that the values of "peak particle velocity" and "Air Over Pressure shall be maintained below the permissible values prescribed by the DGMS, from time to time. The data needs to be maintained and submitted along with the six monthly compliance report.

vi. The wildlife conservation plan shall be prepared in consultation with the State Forest / wildlife Department shall be implemented and compliance of the same shall be submitted to IRO of MOEF&CC for every six months.

vii. The Project Proponent shall take all precautionary measures during project operations / plant operations for conservation & protection of endangered flora as well as endangered fauna spotted in the study area / project area. Action plan for conservation of flora & fauna shall be prepared & implemented in consultation with forest department & wildlife department. Necessary allocation of fund for implementation of the conservation plan shall be made & the fund so allocated shall be included in the project cost. A copy of action plan must be submitted to the SEIAA & SEAC office within 6 months.

viii. The Project Proponent shall also organize employment-based apprenticeship/ internship training program every year with appropriate stipend for the youth and other programs to enhance the skill of the local people. The data should be maintained for the training imparted to the persons and the outcome of the training, for the assessment of the training program should be analyzed periodically and improved accordingly.

ix. The Project Proponent should periodically monitor and maintain the health records of the mine workers digitally prior to mining operations, at the time of operation of mine and post mining operations. Regular surveilance shall be carried through regular occupational health check-up every year for mine workers. PP shall also organize medical camp for the benefit of the local people and also the monitor the health impacts due to mining activity.

x. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site. The real time data generated from the continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) should be displayed digitally at entry and exit gate of mine lease area for public display and shall be linked to server of CPCB/SPCB.

xi. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM10 and PM2.5 are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MOEFCC/ Central Pollution Control Board.

xii. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease including upstream and downstream. The parameters to be monitored shall include their water quality suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no

obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year pre- monsoon (April May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board.

xiii. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off; acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J- 20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

xiv. Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEFCC annually.

xv. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM, etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

xvi. Industrial waste water (workshop if any and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

xvii. Catch drains, settling tanks and siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

xviii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby

allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

xix. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

xx. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area.

xxi. The Project Proponent shall ensure the survival rate of 90% for planting the gap plantation and new plantation. The Project Proponent shall make the actual count on the saplings planted and its survival rate and in case of failure of achievement of 90% survival rate, action plan for achieving the target survival rate shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office Project proponent shall use saplings of 10 feet height for plantation.

xxii. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. The implementation report of the above said condition shall be submitted to the Ministry's Integrated Regional Office.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals of 2% of the total project cost preferably for creation of Eco Park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years in SEIAA, Chhattisgarh.

xxiv. Project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat.

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त कार्यवाही विवरण से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए तथा / एवं तदानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को इसकी प्रति प्रेषित कर सूचित किया जाए।

11. मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरपत मौर्य), ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2093)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 279299/ 2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 17/04/2023 (परिवेश 2.0 में ऑनलाईन तकनीकी त्रुटि होने के कारण जानकारी मई माह में दर्शित हुई) को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1415, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरपत मौर्य, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत छापरभानपुरी का दिनांक 22/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 187/खनिज/उत्ख.यो./2022–23 दंतेवाड़ा, दिनांक 07/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 543/खनिज/ख.लि. 4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.77 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 545/खनिज/ख.लि.4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री नरपत मौर्य के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 582/खनिज/ख.नि.4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 02/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पृ. ज्ञापन क्र. 3982/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 12/06/2023 द्वारा जारी की गई पत्र की प्रति प्रस्तुत कि गई है जिसके अनुसार **"छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृत प्राप्त करने एवं उत्खनि पट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जिला–जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.त.अ./1006 जगदलपुर, दिनांक 06/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–छापरभानपुरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–छापरभानपुरी 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,34,450 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,34,975 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल मात्रा 7,100 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000

पंचम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 630 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (नीम, करंज, अर्जुन, शीशम) पौधों के लिए राशि 12,600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 90,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये, रख–रखाव एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,54,600 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 2,00,800 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष **विस्तार** से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at Nearby Village- Chhaparbhanpuri	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	2.98

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत छापरभानपुरी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1137, क्षेत्रफल 0.33 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,100 घनमीटर है, जिसमें से 2,900 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा एवं शेष 4,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1166/8, क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 543/खनिज/ख.लि.4/02/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–छापरभानपुरी) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–छापरभानपुरी) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.77 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरपत मौर्य) को ग्राम–छापरभानपुरी, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 1415 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–12,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स छापरभानपुरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नरपत मौर्य) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मेसर्स सर्वोत्तम इस्पात, औद्योगिक क्षेत्र रावाभाठा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2396)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 427973/2023, दिनांक 03/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् औद्योगिक क्षेत्र रावाभाठा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं 2 एवं 3 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–0.4515 हेक्टेयर (4,515.08 वर्गमीटर) में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एम. एस. राउण्ड, रिब्ड बार, सी.टी.डी. बार्स, फ्लैट्स, स्क्वैयर, एंगल, चैनल एवं गेट चैनल) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 1.35 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप छुगानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. राउण्ड, रिब्ड बार, सी.टी.डी. बार्स, फ्लैट्स, स्क्वैयर, एंगल, चैनल एवं गेट चैनल) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 15/03/2019 को जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक वैध है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोविड–19 महामारी के कारण उद्योग में पूर्व दो वर्षों से उत्पादन का कार्य नहीं किया गया है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम रावाभाठा 800 मीटर, स्कुल भनपुरी 950 मीटर एवं अस्पताल भनपुरी 1.48 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 2.3 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मोना, रायपुर 17.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.4 मीटर दूर है। खारून नदी 5.8 कि.मी. एवं छोकरा नाला 800 मीटर दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण –** छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मेसर्स सर्वोत्तम इस्पात, औद्योगिक क्षेत्र रावाभाठा, जिला–रायपुर (प्रो.– श्री दिलीप छुगानी) को प्लॉट नं. 2 (पार्ट), क्षेत्रफल 0.31 एकड़ हेतु लीज 08/02/2006 से दिनांक 24/09/2089 तक, प्लॉट नं. 3 पार्ट (खसरा क्रमांक 705/1पार्ट एवं 705/8पार्ट), क्षेत्रफल 0.495 एकड़ हेतु लीज दिनांक 22/08/2017 से दिनांक 28/01/2090 तक एवं प्लॉट नं. 2 (पार्ट), क्षेत्रफल 0.31 एकड़ हेतु लीज दिनांक 03/02/2007 से दिनांक 02/02/2106 तक जारी किया गया है, इस प्रकार कुल 1.115 एकड़ (0.4515 हेक्टेयर) हेतु लीज जारी की गई है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Particular	Area (Sq.m)	Area (%)
1.	Rolling mill area	961.05	21.28
2.	Raw material area	623.25	13.80
3.	Finished goods area	431.00	9.55
4.	Parking area	124.40	2.75
5.	Office	120.00	2.66
6.	Green belt	1,490.00	33.00
7.	Road area	565.30	12.53

8	Open area	200.08	4.43
	Total	**4,515.08**	**100**

5. रॉ–मटेरियल :–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1	Billets/ Ingots	31,500	Open Market	By Road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल गैसीफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर लगाया गया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,000 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया गया है, जिसमें चिमनी की ऊँचाई 6 मीटर है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.1490 हेक्टेयर (33%) क्षेत्र में 190 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33% से बढ़ाकर 40% किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है। उक्त के संबंध में सूचना दी गई।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

    Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मैटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit an affidavit that there will be no increase in coal quantity.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vi. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

vii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

viii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

xvii. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वी बैठक मे विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से**

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

13. मेसर्स अंकित स्टील, रिंग रोड–2, ग्राम–गोदवारा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2397)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 428039/2023, दिनांक 04/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिंग रोड–2, ग्राम–गोदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 243/3, 245/1 एवं 245/2, कुल क्षेत्रफल–0.607 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (एम. एस. प्लेट, एम. एस. राउण्ड बार, एम. एस. एंगल्स) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 8.28 करोड़ है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 04/05/2022 को जारी की गई, जिसकी वैधता 01/08/2022 से 31/07/2025 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 243/3 रकबा 0.061 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245/2 रकबा 0.243 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 243/3 रकबा 0.056 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 245/1 रकबा 0.247 हेक्टेयर मेसर्स अंकित स्टील (पार्टनर– श्री जयप्रकाश अग्रवाल) के नाम पर है।
3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी सरोरा 200 मीटर, स्कूल सरोरा 700 मीटर, अस्पताल मुढ़ियारी 1.62 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन 2.8 कि. मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मोना, रायपुर 17.4 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 7.7 कि.मी. एवं छोकरा नाला 6.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area (Sq.m)	Area (%)
1.	Plant area	3055	50.3
2.	Green belt	2,003	33.0
3.	Internal road, Parking etc	752.4	12.4
4.	Open area	259.6	4.3
	Total	**6,070.00**	**100**

5. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Ingots/Billets/ Bloom	32,000	Local Market	By road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2	Products	Re-rolled Steel products – 30,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में कोयले को कोल गैसीफायर के माध्यम से गैस का उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफायर से जनित टॉर को अधिकृत कोल टॉर इकाई को प्रदाय किया जाता है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर लगाया गया है एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–892 टन प्रतिवर्ष, एण्डकटिंग–1,308 टन प्रतिवर्ष, मुन्सिपल वेस्ट–9.3 टन प्रतिवर्ष, बेग फिल्टर से जनित डस्ट–36 टन प्रतिवर्ष, फ्लाई ऐश–352 टन प्रतिवर्ष एवं युज्ड ऑयल 0.5 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल को फैरो एलॉय यूनिट को प्रदान एवं एण्ड कटिंग को इण्डक्शन फर्नेस इकाई को प्रदान किया जाता है। यूस्ड ऑयल को अधिकृत रिसाईक्लर को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 13.5 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु

प्रोसेस वॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर, प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाता है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 8 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था होना बताया गया है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 5000 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.वी.ए. क्षमता का डी. जी. सेट स्थापित स्थापित किया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 2,005 वर्गमीटर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 तक किया गया है। उक्त के संबंध में सूचना दी गई थी।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the

Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit an affidavit that there shall be no increase in consumption of coal.

iv. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that no increase in coal consumption under any circumstances.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier (if any) along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall complete plantation work at the time of EIA.

xiii. Project proponent shall submit submit the disposal of solid waste at the time of EIA.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

14. मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो– श्री पुरूषोत्तम यादव), ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2409)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428462/2023, दिनांक 08/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 156, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–1,16,565 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पुरुषोत्तम यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमलडीहा का दिनांक 22/02/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – रिवर बैड सेण्ड माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 206/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2023 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 212/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 212/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 21/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री पुरुषोत्तम यादव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3299/खनि/रेत नीलामी/2023 बिलासपुर, दिनांक 14/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत खदान उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उदईबंद 350 मीटर, स्कूल ग्राम–उदईबंद 400 मीटर एवं अस्पताल करादोल 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.9 कि.मी. दूर है। नाला 2.5 कि.मी., नहर 1 कि.मी. एवं तालाब 420 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 590 मीटर, न्यूनतम 580 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 240 मीटर, न्यूनतम 239 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 171 मीटर, न्यूनतम 169 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 1,16,565 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.61	2%	0.75	Following activities at Nearby, **Village-Mukundpur, Gram Panchayat Basantpur**	
			Plantation with fencing around Village Pond & 5 Year AMC	0.90
			Total	**0.90**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 30 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मुकुंदपुर, ग्राम पंचायत बसंतपुर के सहमति उपरांत

पश्चात्योग्य स्थान (ग्राम–मुकुंदपुर के खसरा क्रमांक 58 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 600 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग (कुल 800 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:–

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़को/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	–	–	–
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (800 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	80,000	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	1,20,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 12,50,000		**4,40,000**	**2,40,000**	**1,90,000**	**1,90,000**	**1,90,000**

16. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.

804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 80 प्रतिशत रिवर्ज ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

25. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

27. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–उदईबंद) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन एवं वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक होने पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो. – श्री पुरूषोत्तम यादव), खसरा क्रमांक – 156, ग्राम–उदईबंद, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.09 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 61,300 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु रेत उत्खनन खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/यंत्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स उदईबंद सेण्ड माईन (प्रो– श्री पुरूषोत्तम यादव) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।
3. वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (**Notarized Undertaking**) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स बालूद सेण्ड क्वारी (बी–1) (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद), ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2410)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428660/2023, दिनांक 09/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल–3.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डंकनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–38,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु सरपंच श्री सन्तुराम कश्यप एवं सचिव श्री बसंत कुमार नायक, ग्राम पंचायत बालूद से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालूद का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख. प्र.) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 829/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2022–23 उ.ब.कांकेर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 117/क्ले./खनिज/रे.ख./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 116/क्ले./खनिज/रे.ख./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 03/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1037/क्ले./खनिज/रे.ख./2023 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा में दिनांक 15/05/2023 को पत्राचार किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालूद 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–बालूद 2.1 कि.मी. एवं अस्पताल दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 173 मीटर, न्यूनतम 121 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 431 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 124 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है।

समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 173 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 18

मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 121 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 13 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा 38,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 24/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष **विस्तार** से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14	2%	0.28	Following activities at Nearby, Deogudi, **Village- Balood**	
			Plantation with tree guard in Deogudi & 5 years AMC	3.99
			Total	**3.99**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–बालूद स्थित देवगुड़ी में (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 5,396 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 21,300 रूपये, खाद के लिए राशि 540 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,09,236 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,488 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालूद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 654, रकबा 30 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार

217 नग पौधों के लिए राशि 16,492 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,100 रूपये, खाद के लिए राशि 1,620 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,65,212 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 2,95,408 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

17. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नही किया गया है। डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल मे सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बालूद) का रकबा 3.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसकी प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बालूद सेण्ड क्वारी (डी–1), (सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद (श्री सन्तुराम कश्यप)), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 31, ग्राम–बालूद, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्रफल 3.84 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 23,040 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु रेत उत्खनन खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों / यंत्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स बालूद सेण्ड क्वारी (डी–1), (सरपंच, ग्राम पंचायत बालूद (श्री सन्तुराम कश्यप)) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स गणपति इण्डस्ट्रियल प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2411)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी1 / 428639 / 2023, दिनांक 09 / 05 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नं. 65 एवं 66, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 175 / 1, 175 / 2, 175 / 3, 175 / 4 एवं 180 / 1, कुल क्षेत्रफल–1.29 हेक्टेयर में री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 3 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27 / 06 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27 / 06 / 2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15 / 09 / 2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / जानकारी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स सेन्ट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रीज (पार्टनर– श्री ऋषि अग्रवाल), ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2412)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 428756/ 2023, दिनांक 10/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 807/4 एवं 811, कुल क्षेत्रफल–0.224 हेक्टेयर, क्षमता विस्तार के तहत् स्टेड अलोन सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता – 150 टन प्रतिदिन से 1,000 टन प्रतिदिन है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना हेतु कुल क्षेत्रफल 3.095 हेक्टेयर के स्थान पर त्रुटिवश 0.224 हेक्टेयर का उल्लेख करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त त्रुटि होने के कारण दिनांक 27/06/2023 को पत्र के माध्यम से आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड (आरीडोंगरी आयरन ओर माईन), ग्राम–कच्चे एवं पर्रेकोदो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2210)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 408229/2022, दिनांक 28/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन और (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–कच्चे एवं परैकोडो, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में Expansion proposal for Aridongari iron ore mines for enhancement of iron ore production capacity from existing 2.35 Mtpa to 6 MTPA with total excavation quantity of 21.34 MTPA, setting up by way of putting up of a new and enhancement / modification / replacement of existing iron ore crushing and screening plant from 2.35 MTPA to 6 MTPA of iron ore crushing, screening, grinding and benefication plant of 6 MTPA capacity, setting up of additional Dolerite / Grunerite Aggregate crushing and screening plant from 2 MTPA with increase in mine lease area from 138.96 Ha to 215.96 Ha (Total mining lease area as per block allotment is 138.96 Ha + 77 Ha additional land outside mine lease area for scientific disposal / dumping of overburden waste) के लिए टी.ओ. आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27,891 लाख होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गंगा राम वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट माईनिंग, श्री संजय श्रीवास्तव, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट इन्फ्रायरोमेंट एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स वरदान इन्फ्रायरोनेट, गुरूग्राम की ओर से श्री अंकुर अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर, क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25/06/2007 को जारी की गई।
   ii. आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12/12/2014 को जारी की गई। तत्पश्चात् आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–106.6 हेक्टेयर से बढ़ाकर 138.96 हेक्टेयर क्षमता–7,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 14,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26/05/2016 को जारी की गई।
   iii. आयरन और (मुख्य खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल–138.96 हेक्टेयर क्षमता–14,05,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23/06/2021 को जारी की गई।

iv. परियोजना प्रस्तावक को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 23/06/2021 का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 782/खनिज/ख.प./2022 कांकेर, दिनांक 02/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2013–14	3,25,797.61
2014–15	4,04,271.35
2015–16 (अप्रैल से अगस्त 2015 तक)	1,22,941.68
सितम्बर 2015–16	2,97,128.17
2016–17	9,85,179.41
2017–18	12,07,017.62
2018–19	11,82,025.24
2019–20	13,47,258.84
2020–21	13,99,971.09
2021–22	21,04,823.91
2022–23 (सितम्बर 2022 तक)	11,69,436.99

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष, आयरन ओर क्रशर विथ स्क्रीनिंग फेसिलिटी क्षमता–400 टन प्रतिघंटा, आयरन ओर स्क्रीनिंग प्लांट विथ मेगनेटिक सेप्रेटर क्षमता–250 टन प्रतिघंटा एवं डोलेराईट क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग प्लांट क्षमता–2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/07/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 15/08/2024 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परैकोडो का दिनांक 07/10/2022 एवं ग्राम पंचायत कच्चे का दिनांक 27/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक/कांकेर/लौह/खयो–1227/2019 रायपुर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 23,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट माईनिंग प्लान भारतीय खान ब्यूरो में प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन और माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **लीज संबंधी विवरण** – लीज डीड मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड के नाम पर है, जो निम्नानुसार है:–

Details	Lease Area	Date of Deed Execution	Period	Valid Up to
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha	32.36 Ha	12.05.2015	50 years from 12.05.2015	11.05.2065
Lease Deed Execution for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha	106.60 Ha	30.09.2008	20 years from 30.09.2008	30.09.2028
Amendment in Lase Deed for Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 106.60 Ha for extension of validity period as per Mines and Minerals (Development and Regulation) (Amendment) Ordinance, 2015	106.60 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058
Amalgamation of Kachche (Aridongri) Iron Ore Lease 32.36 Ha and 106.60 Ha	138.96 Ha	03.09.2015	50 years from 30.09.2008	29.09.2058

7. **भू–स्वामित्व** – उत्खनन हेतु कुल क्षेत्रफल 138.96 हेक्टेयर है, जिसमें से 127.4 हेक्टेयर वन भूमि एवं शेष 11.56 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। साथ ही लीज क्षेत्र के बाहर 77 हेक्टेयर (63.79 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं शेष 13.21 हेक्टेयर निजी भूमि) भूमि में ओवर बर्डन को भण्डारित/अपवहन किया जाना बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत् परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाना आवश्यक है। भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 द्वारा जारी पत्र अनुसार 106.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र को आरीडोंगरी आयरन और माईन के नाम पर शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 19/02/2015 द्वारा जारी पत्र अनुसार 32.36 हेक्टेयर वन क्षेत्र को फारेस्ट कम्पार्टमेंट नम्बर आरएफ 139(608) ग्राम–कच्चे जिला–बस्तर में आयरन और

माईन के लिए शर्तों के अधीन डायवर्सन किया गया है। समिति का मत है कि दिये गये शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम शहर दल्ली राजहरा 26 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन गुढुम 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 157 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिपाकेट्टा, राजोबिंडिह, उनोंधापानी, मगर्धा जबकसा, नाघुर एवं संरक्षित वन कान्दे, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.768 हेक्टेयर है। वर्तमान में ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 से 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 से 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 501 घनमीटर प्रतिदिन (आयरन ओर बेनिफिकेशन प्लांट के लिए 417 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 30 घनमीटर प्रतिदिन, ईक्यूपमेंट वाशिंग के लिए 8 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिकिंग एवं सेनिटेशन के लिए 46 घनमीटर प्रतिदिन) होगी, जिसमें से 300 घनमीटर प्रतिदिन को भू–जल से उपयोग किया जाएगा एवं शेष 201 घनमीटर प्रतिदिन को माईन सम्प से जल की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु 300 घनमीटर प्रतिदिन के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **मिनरल प्रोसेसिंग एवं बेनीफिकेशन** – वर्तमान में 3 स्टेज क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग क्षमता 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्थापित है। 250 टन प्रतिघंटा क्षमता का स्क्रीनिंग के साथ ड्राई मेग्नेटिक सेपरेटर तथा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का डोलोराईट क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 1000 टन प्रतिघंटा क्षमता का क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग इकाई के प्राथमरी जॉ, सेकेन्ड्री एवं टरशयरी कोन क्रशर एवं स्क्रीन्स में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सम्मति प्राप्त लो–ग्रेड आयरन ओर बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर होना बताया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/01/2022 के मध्य किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. शासकीय राजस्व भूमि एवं निजी भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन/भण्डारण हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए (यदि आवश्यक हो)।

4. शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.65 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान उत्पादन क्षमता के स्थिती में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. क्षमता विस्तार उपरांत ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 04/08/2008 एवं 19/02/2015 द्वारा जारी आवरन और माईनिंग के लिए दिये गये वन भूमि का डायवर्सन के शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 09/02/2023 द्वारा पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार निम्नानुसार शर्तों का आंशिक एवं अपूर्ण पालन होना बताया गया है:–

   i. सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है, किन्तु सी.पी.सी.बी. एवं सी.ई.सी.बी के सर्वर से कनेक्ट (Connect) नहीं किया गया है।

   ii. बैग फिल्टर एवं वैक्यूम सक्शन हूड की स्थापना नहीं किया गया है, वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की गई है। स्थापित कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से ढके हुए नहीं है।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर छःमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   iv. अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

   समिति का मत है कि उक्त अपूर्ण शर्तों के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

2. स्वीकृत लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में नियमानुसार वृक्षारोपण किया गया है। वर्ष 2009–10 से 2022–2023 तक कुल 1,25,635 पौधा रोपण किया गया है। पौधों का जीवन दर (Survival Rate) 90 प्रतिशत है। इसका विवरण तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   बिगड़े वन क्षेत्र 5.014 कि.मी. (सेफ्टी जोन का डेढ़ गुणा) क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु परियोजना की लागत राशि रूपये 15,04,200/– छत्तीसगढ़ कैम्पा मद में जमा किया गया है।

   उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना विस्तार अन्तर्गत सेफ्टी जोन 7.5 मीटर की पट्टी में तीन पंक्तियों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु घटकवार व्यय सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार

Description	Within 7.5 m wide safety zone				
	2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28
	Gap Filling in safety Zone of existing mining lease Area	Safety zone of additional 77 ha Lease area & Gap Filling in existing safety Zone Area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area	Gap Filling in Total Safety Zone area

15,000 Sampling Proposed to be planted	Plantation Amount (With 90% Survival Rate)	95,012	11,67,012	7,31,012	3,88,012	2,45,012
	Fencing Amount	8,46,036	8,96,287.92	1,20,948	1,20,948	1,20,948
	Amount of Cow dung & manure	8,793.38	1,01,033.38	63,728.38	35,413.38	24,728.38
	Amount of Watering, Caring & Mainte - nance	6,14,852	6,87,012	5,60,402	5,39,402	5,30,402
Total Amount = 78,96,994.9		**15,64,693.38**	**28,51,345.3**	**14,76,090.38**	**10,83,775.38**	**9,21,090.38**

3. शासकीय राजस्व भूमि के आबंटन संबंधी दस्तावेज एवं निजी भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश क्रमांक/113/कले./रीडर/2021 कांकेर, दिनांक 22/05/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

   प्रस्तावित परियोजना हेतु अर्जन की जा रही अतिरिक्त भूमि पर आयरन ओर उत्खनन से प्राप्त ओवर बर्डन एवं रिजेक्ट्स को वैज्ञानिक पद्धति से डम्प किया जाना प्रस्तावित है तथा उक्त भूमि पर उत्खनन नहीं किया जाएगा।

4. शासकीय भूमि 63.79 हेक्टेयर में से 2.68 हेक्टेयर का आबंटन प्राप्त किया गया है, जिसमें शर्त अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। अतः शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1585/अ.वि.अ./रीडर–2/2022 भानुप्रतापपुर, दिनांक 22/11/2022 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को रिजेक्ट /वेस्ट मटेरियल डम्प करने हेतु शासकीय भूमि आबंटित करने बाबत् प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि आयरन ओर उत्खनन के दौरान प्राप्त ओवर बर्डन/ रिजेक्ट्स के वैज्ञानिक पद्धति से डम्प करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समाहित करते हुये (कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर आयरन ओर माईन क्षमता 60 लाख टन प्रतिवर्ष हेतु) समामेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य शासन से समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. वर्तमान उत्पादन क्षमता की स्थिति में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् प्रतिवेदन/जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2023/1317 भानुप्रतापपुर, दिनांक 23/02/2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत उत्खनन प्रकरणों के अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आंशिक अपूर्ण शर्तों के पालन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. प्रक्रियाधीन शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र सक्षम अधिकारी/राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु समामेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 एवं 26/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त पालन प्रतिवेदन में उल्लेखित अपूर्ण/आंशिक अपूर्ण शर्तों के पालन के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:–

   i. सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना बताया गया है, किन्तु सी.पी.सी.बी. एवं सी.ई.सी.बी. के सर्वर से कनेक्ट (Connect) किया गया है।

   ii. स्थापित कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से केनोपी (canopy) द्वारा ढका जाएगा, जिससे फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रित रहेगा। अतः बैग फिल्टर एवं वैक्यूम सक्शन हूड की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

   iii. माईनिंग लीज एरिया के अंतर्गत कोई भी धारागाह क्षेत्र शामिल नहीं है।

iv. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं हेतु टाईम बौण्ड एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर छःमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

vi. अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना हेतु 130 लाख रुपये राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ कैम्पा में जमा की गई है, जिसके चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है।

vii. क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र में बैग फिल्टर उपलब्ध कराया गया है। जबकि डीएफडीएस सिस्टम डस्ट कलेक्टर/बैग फिल्टर की तुलना में अत्यधिक प्रभावी है। सभी डस्ट जनरेटिंग पॉईन्ट्स पर डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जल स्प्रे व्यवस्था स्थापित की गई है एवं फीड हॉपर, फीड तथा डिस्चार्ज कन्वेयर, ट्रांसफर पॉइंट आदि पर डीएफडीएस सिस्टम प्रदान की गई है।

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (यथा संशोधित) की धारा 247(2) के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजस्व भूमि के आबंटन हेतु आवेदन कार्यालय कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर में प्रक्रियाधीन है। अतः आबंटन पत्र की प्रति ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गए सी.ई.आर. कार्यों का व्यय एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. प्रस्तावित क्षेत्रफल 215.96 हेक्टेयर, आयरन ओर माईन क्षमता 60,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु समामेलन माईनिंग प्लान (amalgamated mining plan), भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त क्षमता एवं क्षेत्रफल हेतु भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति तथा समामेलन लीज डीड/एल.ओ.आई. (amalgamated lease deed / letter of intent) राज्य शासन से प्राप्त कर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-कच्चे एवं परैकोड़ी) का रकबा 215.96 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी-1 श्रेणी की है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिएशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के **साथ प्रक्रियाधीन शेष 61.14 हेक्टेयर राजस्व भूमि का आबंटन पत्र सक्षम अधिकारी/राज्य शासन से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन** जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit closure report of partially / non complied conditions of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit amalgamated Mining Plan duly approved by IBM for a production capacity of 60,00,000 TPA (Total project land 215.95 ha. including proposed additional area 77 ha.) will be submitted alongwith EIA/EMP Report.

iii. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OB/waste material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha.

iv. Project proponent shall submit the revised project cost of the amalgamated project.

v. Project proponent shall submit an affidavit that the trees falling in 7.5 meter width of additional land 77 ha. will not be cut.

vi. Project proponent shall submit the details of the trees standing in additional land 77 ha. and details of the trees standing in 7.5 meter width.

vii. Project proponent shall submit an affidavit that the trees standing in 77 ha. area shall not be cut without the permission of competent authority (State Government).

viii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ix. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.

x. Project proponent shall submit certified compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

xi. Project proponent shall submit performance report of Baseline Data Generation for preparation of EIA Study Report.

xii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

xiii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year 2021-22.

xiv. Project proponent shall submit the Environment Management Plan in detail in accordance to MoEF & CC guidelines and EIA Manual.

xv. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

xvi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xvii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xviii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xx. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xxi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xxii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery of mining lease area (215.95 Ha) & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxiv. Project proponent shall submit the slop stability of dumping.

xxv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area (215.95 ha.) as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of plants of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त क्रमांक "iii. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OB/waste material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha." के स्थान पर "iii. Project proponent shall submit the copy of LOI from State Government / amalgamated lease deed incorporating the additional project land 77 ha. for scientific dump of OB/waste (refuge as per Mines Act, 1952) material being obtained during the excavation of mineral iron ore with existing mining lease hold area 138.96 ha." पढ़ा जायें।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा निम्न अतिरिक्त शर्त "Project proponent shall submit amalgamated Mining Plan duly approved by IBM for a production capacity of 60,00,000 TPA (Total project land 215.95 ha. including proposed additional area 77 ha.) at the time of submission of draft EIA to CECB for Public Hearing." के

अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

19. मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड (मोहरा (ब्लॉक–ए) लाईम स्टोन ब्लॉक), ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा तथा ग्राम–पत्थरचुआ एवं मालुकोना, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2121)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /81526/2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/11/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा तथा ग्राम–पत्थरचुआ एवं मालुकोना, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित ग्राम–मालुकोना, तहसील–पलारी स्थित खसरा क्रमांक 1, 2 एवं अन्य 50 खसरे, ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा स्थित खसरा क्रमांक 1673/1, 1673/2 एवं अन्य 34 खसरे, ग्राम–पत्थरचुआ, तहसील–पलारी स्थित खसरा क्रमांक 144, 154 एवं अन्य 327 खसरे, कुल क्षेत्रफल–127.046 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित Limestone Production- 1.50 Million TPA, Over burden- 0.16 Million TPA, Inter burden- 0.008 Million TPA, Screen Waste- 0.167 Million TPA, Top Soil- 0.012 Million TPA, Total Excavation: 1.847 Million TPA, Proposed Primary Crusher - 800 TPH & Secondary Crusher - 400 TPH along with Wobbler है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 76.57 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि तिवारी, मुख्य कार्यपालक एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स जेएम इन्फ्रावरेनेट प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गांव की ओर से डॉ. अनिल कुमार त्रिवेदी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत फुण्डहरडीह का दिनांक 27/09/2022, ग्राम पंचायत मुसुवाडीह का दिनांक 14/10/2022 एवं ग्राम पंचायत मोहरा का 11/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक / बलोदा–भाटा / चुप / खयो–1331 / 2022 रायपुर, दिनांक 20 / 05 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564 / तीन–6 / न.क. / 2022, बलौदाबाजार, दिनांक 20 / 09 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, रकबा 5.983 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564 / तीन–6 / न.क. / 2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20 / 09 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है, अपितु 200 मीटर की परिधि में माइनर नहर एवं दक्षिण दिशा में बरसाती नाला स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक / एफ 3–05 / 2020 / 12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 / 01 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल भूमि 127.046 हेक्टेयर में से 1.744 हेक्टेयर शासकीय भूमि, 0.101 हेक्टेयर चारागाह भूमि एवं 125.201 हेक्टेयर भूमि मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है। कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर क्षेत्र को नक्शे में चिन्हित (को–ऑर्डिनेट्स सहित) कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि भू–स्वामित्व की जानकारी खसरावार सारणीबद्ध कर (Tabular form) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक / तकनीकी / खनिज / 2500 बलौदाबाजार, दिनांक 12 / 09 / 2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से लगभग 7.42 कि.मी. की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. फाईल से देखने पर आवेदित क्षेत्र बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से लगभग 27 कि.मी. की दूरी पर होना पाया गया।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पत्थरघुआ 180 मीटर एवं अस्पताल रेंगाडीह 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानन्द विमानतल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर 42 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। टेंगना नाला 170 मीटर, चितवर नाला एवं महानदी नहर 500 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 56.847 मिलियन टन, माईनेबल रिजर्व 51.234 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी मात्रा 0.398 मिलियन टन है एवं ओवर बर्डन की मात्रा 5.554 मिलियन टन है। बेंच की ऊंचाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में 2 क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता क्रमशः 600 एमटीएच एवं 400 एमटीएच है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आरओएम उत्खनन (टन)
प्रथम	–	–	–
द्वितीय	–	8,333	83,333
तृतीय	–	11,111	1,11,111
चतुर्थ	–	13,889	1,38,889
पंचम	–	16,667	1,66,667

आगामी वर्षों का उत्खनन विवरण

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आरओएम उत्खनन (टन)
षष्टम	5,355	22,222	2,22,222
सप्तम	5,355	22,222	2,22,222
अष्टम	5,355	55,556	5,55,556
नवम	5,355	1,11,111	11,11,111
दशम	8,260	1,66,667	16,66,666

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 100 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसमें से डस्ट सप्रेशन (उत्खनन प्रक्रिया एवं क्रशर) हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, पेयजल तथा घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, वर्कशॉप हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन तथा वृक्षारोपण हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्त्रोत / माध्यम संबंधी जानकारी एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 9,300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर में से 21.9 हेक्टेयर क्षेत्र को शासन एक्सप्लोर नहीं किये जाने के कारण अबाधित क्षेत्र (Undisturbed Area) रखा गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच क्षमता के 2 नग क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, क्रशर को कवर्ड शेड में रखा जाना प्रस्तावित है तथा क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना निकटतम रहवासी क्षेत्र से दूरी रखते हुए ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 जनवरी 2023 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क./2022, बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, रकबा 5.983 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरा, पत्थरखुआ एवं भालुकोना) का रकबा 127.046 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोहरा, पत्थरखुआ एवं भालुकोना) को मिलाकर कुल रकबा 133.029 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the top soil & overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with khasra number in tabular form & also submit the consent letter from land owners for uses of land (if required).

vi. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

vii. Project proponent shall ensure that the establishment of crusher is away from the habitation and submit a layout plan with KML file and incorporate in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.

x. Project proponent shall submit aerobiological study report.

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart & ETP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xx. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxi. Project proponent shall submit the area details of crusher and details of pollution control arrangement in crusher.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/02/2023 को संपन्न 139वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. धारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर को उत्खनन कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त हुई है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. Project Proponent has informed that total requirement of water will be 100 KLD for mining/industrial purposes. Since there is no letter comfort or in principal approval for drawl of said quantity of water from the concerned authority like C.G.W.A./WRD therefore proposal is being returned to SEAC to examine/appraise the above desired observations.
3. Project Proponent has submitted that 9,300 nos of trees shall be planted in the safety zone area of 7.5 meters. Since Project Proponent intends to mine cement grade limestone at the rated (peak production) capacity of 16,66,666 tons of ROM and limestone production capacity of 1.5 million tons per annum i.e. 15 lakh ton per annum. Therefore proposal needs to be re-examined in view of the aforesaid observation and 3-tier plantation in safety zone area will be required to prevent and control the mineral dust/fugitive emissions to minimize the impact of silica, alumina and iron in and around the surrounding habitation.
4. Project Proponent intends to install two crushers each with the capacity of 800 TPH and 400 TPH within the lease area, however there is insufficient information regarding the location of the proposed crushers, at layout plan. Therefore it is opined that the proposal needs to be re-examined to assess the pollution load of existing and after commencement of crushers operation and Project Proponent is required to submit the above said observations on KML file.
5. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई:–

1. धारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय गहन चर्चा उपरांत अतिरिक्त शर्त (vi) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।
3. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय गहन चर्चा उपरांत प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर में 3 पंक्तियों में 9,300 नग वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। अतः इस संबंध में समिति द्वारा अतिरिक्त शर्त (xvi) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।
4. प्राधिकरण की 139वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिए गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा तत्समय गहन चर्चा उपरांत अतिरिक्त शर्त (vii) के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया था।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि चारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् अनुमति/जानकारी/दस्तावेज परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा चारागाह भूमि 0.101 हेक्टेयर में उत्खनन कार्य किये जाने बाबत् निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है:-

"This is greenfield mining project applied for TOR approval, as per the provisions of EIA Notification 2006, as amended there of and conditions of Letter of Intent (LOI) Letter has been issued by State Government of Chhattisgarh for Mohra (Block- A) Limestone Block for mineral Limestone over an area of 127.046 ha. in favour of Shree Cement Limited vide their letter no. F3- 05/2020/12, dated 31.01.2022.

Prior to initiate the mine working & excavation in Charagah Land, Permission will be obtained from the concerned state government department/s after execution of mining lease deed of the block area and before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevailing applicable rules.

In this respect, we are herewith also submitting an undertaking as commitment to obtain prior permission of Charagah Land before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevalent applicable rules."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र (Undertaking) में प्रस्तुत तथ्य निम्नानुसार है:-
"We will not initiate the excavation and mine working in the Gauchar Land area without obtaining prior permission from concerned state government department/s after execution of mining lease deed of the block area and before start of mining operation in the Charagah Land, as per prevalent applicable rules. If, we not get the permission for mine working in Gauchar Land, we will

excluded the Gauchar land area and left the access to Gauchar Land, we will also left the safety barrier all along the periphery of Gauchar Land."

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. **Project proponent shall submit Cumulative Impact Assessment on riverine ecology and water bodies near the project area.**

ii. **Replies have not yet been received for doubts/clarification required earlier. Same shall be submitted on time.**

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

20. मेसर्स श्री रामदूत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं.–7, ग्राम–कोनारी, बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2325)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 420819/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 7, कुल क्षेत्रफल–3.844 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 14.05 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "for all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in

existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said EIA notification, 2006 and shall be exempted from the requirement of public consultation'' का उल्लेख है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार ''All other non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates'' का उल्लेख है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उक्त अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के संदर्भ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन/ स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई-मेल दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

"Both OM of 2013 and Notification dated 20.07.2022 is self explanatory in nature."

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/05/2023 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

"we operate a rolling mill in an industrial area with valid CTO issued from CECB. We would like to undertake expansion of our facility from 30,000 TPA to 59,000 TPA. As this is an expansion proposal and not a regularization process, we believe that our case should be dealt as per Office Memorandum of MoEF&CC No. J-13012/12/2013-IA-II (I) dated 24.12.2013.

The communication in this respect with Member Secretary, Expert Appraisal Committee (Industry-1 Sector), Impact Assessment Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is also attached herewith."

उपरोक्त तथ्यों एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2023 को संपन्न 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़